

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

जयपुर, दिनांक : 15.05.2019

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2019

आदेश


विभाग के स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध मा. राजस्थान उच्च न्यायालय/मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के द्वारा स्थगन आदेशों की पालना में निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम व पद	मा. न्यायालय/मा. अधिकरण में दायर अपील संख्या व स्थगन आदेश दिनांक	स्थानान्तरण कहाँ से कहाँ किया गया	विशेष विवरण
1	डा. सुमन मीणा, चिकित्सा अधिकारी	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 792/ 2019 दिनांक 09.04.2019	आदेश दिनांक 07.03.2019 के क्रम संख्या 153 के द्वारा पीएचसी बूढादीत, कोटा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ईटावा, कोटा	मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. सुमन मीणा, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान पीएचसी बूढादीत, कोटा में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।
2	डा. शेर सिंह जाट, चिकित्सा अधिकारी	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 790/ 2019 दिनांक 10.04.2019	आदेश दिनांक 07.03.2019 के क्रम संख्या 123 के द्वारा सीएचसी थानागाजी, अलवर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई, टोंक	अन्य प्रकरणों की भांति प्रकरण में नो अपील का निर्णय लेते हुए मा. अधिकरण के आदेशों की पालना में डा. शेर सिंह जाट, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान सीएचसी थानागाजी, अलवर में कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
3	डा. उपेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 521/ 2019 दिनांक 29.03.2019	आदेश दिनांक 07.03.2019 के क्रम संख्या 53 के द्वारा राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दूदू, जयपुर	मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. उपेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।
4	डा. विजय कुमार चौधरी, चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 682/ 2019 दिनांक 11.04.2019	आदेश दिनांक 08.03.2019 के क्रम संख्या 103 के द्वारा सीएचसी, अजीतगढ़, सीकर से सीएचसी माउण्टआबू, सिरौही	मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. विजय कुमार चौधरी, चिकित्सा अधिकारी (दन्त) को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान सीएचसी, अजीतगढ़, सीकर में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।
5	डा. नवीन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 829/ 2019 दिनांक 15.04.2019	आदेश दिनांक 07.03.2019 के क्रम संख्या 434 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काकोडा झुंझुनू से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टिडियासर, चुरु	मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. नवीन्द्र कुमार, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काकोडा, झुंझुनू में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।
6	डा. सुगन लाल मीणा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 672/ 2019 दिनांक 02.04.2019	आदेश दिनांक 07.03.2019 के क्रम संख्या 92 के द्वारा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिकराय, दौसा से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धौरोमन्ना, बाडमेर	मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. सुगन लाल मीणा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिकराय, दौसा के पद पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।
7	डा. हंसराज मीणा, चिकित्सा अधिकारी	मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 884/ 2019 दिनांक 15.04.2019	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 27.03.2019 के द्वारा सीएचसी जबाजा, अजमेर से आदेशों की प्रतीक्षा में किये जाने के कारण	मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. हंसराज मीणा, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान सीएचसी जबाजा, अजमेर में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।

Ligam


8	डा. हुकुम सिंह मीना, चिकित्सा अधिकारी	मा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर 662/ 2019 दिनांक 01.04.2019	आदेश दिनांक 06.03.2019 के द्वारा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से जिला चिकित्सालय, अलवर	मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. हुकुम सिंह मीना, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है।
---	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

राज्यपाल की आज्ञा से,


(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यगही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
- 2- विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 4- निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त स्थगन आदेशों को शीघ्र वैकैट कराने की कार्यवाही करावें।
- 5- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
- 6- संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/सैटेलाइट चिकित्सालय, राज.
- 7- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
- 8- संबंधित अधिकारी
- 9- कम्प्यूटर सैल
- 10- रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव


राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
दिनांक : 16.05.2019

क्रमांक : ई/चिअ/ए से जेड/2019/745

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्बन्धित अधीक्षक।
3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
5. सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/जिला चिकित्सालय/सैटेलाइट चिकित्सालय।
6. उप विधि परामर्शी, मुख्यगलय।
7. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. सम्बन्धित चिकित्सको को पालनार्थ।
9. सर्वर रुम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
10. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।